अपील संख्या 02/2017
मगनाराम वगैरा v/s दिनेशसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.03.2025	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.03.2026 को पेश हो।	
28.03.2026	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। निर्णय लिखा नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.04.2026 को पेश हो।	
21.04.2026	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28.04.2026 को पेश हो।	
28.04.2026	पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 36/2006 बअनवान मानाराम बनाम नग सिंह वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जैरकार थीं। जिसे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.12.2015 द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.05.2017 को प्रस्तुत किया। विलंबकाल माफ करने के लिए प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण गरीब अनुसूचित जाति के काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि पर कब्जा कास्त है। अप्रार्थी स्वर्ण जाति से है। प्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2015 के विरूद्ध रेवेन्यु बोर्ड में निगरानी की गई। इसका निस्तारण दिनांक 06.02.2017 को हुआ है। निगरानी में लगा समय प्रार्थना पत्र पेश करने में समायोजित किया जाना कानूनन है। उपरोक्त कारणो से जानकारी से भी प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त कारणो सहित पेश है, देरी को दरगुजर कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहा था तथा अपीलांट के अधिवक्ता भी अपील में पैरवी करने हेतु जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रहे थें। अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 36/2006 में नियत तारीख पेशी दिनांक 18.12.2015 को अधिवक्ता अपीलांट व अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर अपील अपीलांट अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की गैर मौजूदगी में ही पारित हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में आदेश पारित किये जाने की तिथि से अपीलांट को इसकी जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही चूंकि पक्षकार ग्रामीण परिवेश के वंचित वर्ग से संबधित है जिन्हे विधिक प्रावधानों के तकनीकि बारिकियो की संबंध में ज्ञान होने की धारणा नहीं की जा सकती तथा इस संबंध में पक्षकार विधिवेता के सलाह पर निर्भर होते है एवं चुकि प्रकरण में विधिवेता की सलाह पर माननीय राजस्व मंण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गयी जबकि कानून न्यायालय हाजा में ही रेस्टोर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल दिनांक 06.02.2017 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वत्रता प्रदान करते हुए ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की गयी। अतः स्पष्ट है कि पक्षकार द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की जान बुझकर उदासीनता व लापरवाही प्रकट नहीं की है बल्कि निरंतर प्रयासरत रहा है, साथ ही विलंबकाल दीर्घ विलंब नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। प्रकरण में विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता से घटित होना साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए प्रार्थना पत्र अंदर म्याद शुमार किया जाता है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए तथा किसी भी दृष्टि से पैरोकार की उदासीनता के लिए पक्षकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पैरवी के लिए अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर दिया गया था। अतः प्रत्येक तारीख पेशी पर पक्षकार के स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः ऐसी स्थिति में नियत तारीख पेशी दिनांक 18.12.2015 को प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलांट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	की अनुपस्थिति युक्तियुक्त व सद्भाविक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान व स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 36/2006 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 को अपास्त करते हुए प्रार्थी की मूल अपील संख्या 36/2006 बअनवान मानाराम बनाम नग सिंह वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचारणार्थ पुनः ग्रहण किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा। **आदेश** अतः निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 36/2006 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2015 को अपास्त करते हुए प्रार्थी की मूल अपील संख्या 36/2006 बअनवान मानाराम बनाम नग सिंह वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचारणार्थ पुनः ग्रहण की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अपील के साथ संलग्न की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया। **(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी,** **पाली**	